उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463
Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–6695/25 दिनांक 25.07.25

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

प्रबंधक / प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग / पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

विषय–प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट / स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत (पायलट फेज़) में बिना मैप हुए वितरीत उपकरणों के Distribution Marking कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के सन्दर्भ संख्या–D/25-26/1420 दिनांक 21.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के अनुपालन में आप आपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)
सचिव।

सन्दर्भ संख्याः- D/25-26/1420
दिनांकः- 21-07-2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ.प्र.।

विषयः-प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत (पायलट फेज़) में बिना मैप हुए वितरित उपकरणों के Distribution Marking कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत समस्त जनपदों में लाभार्थियों के मध्य उपकरणों के वितरण में तीव्रता लाये जाने हेतु कार्यवाहियां की जा रही हैं।

2. उल्लेखनीय है कि डिजीशक्ति पोर्टल पर उपकरण वितरण करने की प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें संस्थानों द्वारा जनपद स्तर पर चयनित प्रत्येक लाभार्थी के डाटा से डिवाइस की मैपिंग करना, लाभार्थियों के मध्य वितरण कर वितरित डिवाइसेज़ की लाभार्थियों से हस्ताक्षरित रिसीविंग स्लिप पोर्टल पर अपलोड करना, "Has student received Smartphone/Tablet in this or any other UP Government Scheme" Yes/No विकल्प में मार्क किया जाना आदि कार्यवाहियॉं निहित हैं। इसके अतिरिक्त Device Receiving Status Update (Distribution Marking) अथवा लाभार्थी के सापेक्ष उपकरण प्राप्त करते हुए उसकी फोटो अपलोड किये जाने की प्रक्रिया की जानी होती है उसके पश्चात ही उपकरण वितरित माना जाता है।

3. इस सम्बन्ध में जनपदों एवं संस्थानों में सम्पर्क करने पर संज्ञान में आया कि योजना के पायलट फेज़ के दौरान कतिपय संस्थानों द्वारा प्रक्रिया की पूर्ण रूप से जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा उपकरण प्राप्त कर लाभार्थियों में वितरित तो कर दिये गये हैं परन्तु लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए उपकरणों की IMEI संख्या से मैपिंग नहीं की जा सकी। साथ ही उन लाभार्थियों से संपर्क कर उपकरणों की मैपिंग कर पाना अब संभव नहीं है। उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ऐसे उक्त प्रकरणों में वितरित हो चुके उपकरणों का वितरण मार्किंग किया जा पाना संभव नहीं है।

4. उक्त के सम्बन्ध में पायलट फेज़ योजना के ऐसे लाभार्थी जिनको उपकरण प्राप्त तो हुए हैं परन्तु उपकरणों से मैपिंग नहीं हो सकी है, उनकी पोर्टल पर वितरण मार्किंग कराये जाने हेतु व्यवस्था डिजीशक्ति पोर्टल पर दिनांक 15-07-2025 से उपलब्ध करा दी गयी है जिसका यूजर मैनूअल पोर्टल पर Instruction menu के अंतर्गत उपलब्ध है तथा सम्बंधित प्रक्रिया निम्नवत हैः-

I. डिजीशक्ति पोर्टल पर संस्थान स्तर के लॉग इन में Transaction Menu के अंतर्गत दिए गए विकल्प **Request for distribution without mapping (Pilot Project)** के माध्यम से प्रश्नगत लाभार्थियों का चयन कर उनके सापेक्ष उनको उपकरण प्राप्त कराये जाने के साक्ष्य, जैसे उपकरण प्राप्त करते हुए फोटो/उपकरण प्राप्ति की हस्ताक्षरित रसीद/ छात्र-छात्रा का एफिडेविट आदि की प्रति अपलोड करते हुए उनके सापेक्ष वितरण मार्किंग किये जाने हेतु Request जनपद स्तर पर अग्रसारित किया जाना ।

II. उक्त अग्रसारित Request को जनपद स्तर के नोडल अधिकारी के लॉग इन में Transaction Menu के अंतर्गत दिए गए **"Process Request for distribution without mapping (Pilot Project)"** विकल्प के माध्यम से उसकी पुष्टि करते हुए Accept या Reject किया जाना।

III. Accept किये जाने की स्थिति में उक्त Request यूपीडेस्को स्तर पर अग्रसारित हो जाएगी ।

IV. Reject किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा पुनः उस डाटा के सापेक्ष request raise किया जा सकेगा।

V. यूपीडेस्को स्तर से उक्त request Accept या Reject किया जा सकेगा।

VI. यूपीडेस्को स्तर से Accept किये जाने की स्थिति में छात्र-छात्रा के सापेक्ष वितरण मार्किंग हो जाएगी ।

VII. Reject किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा उस डाटा के सापेक्ष पुनः request raise किया जा सकेगा।

कृपया उक्त प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हुये अपने जनपद के संस्थानों में पायलट फेज में वितरित हो चुके unmapped उपकरणों का डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग किये जाने हेतु संस्थानों के नोडल अधिकारियों को सूचित करने के लिए इस योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Digitally signed by
Neha Jain
Date: 19-07-2025
16:45:21

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, विभाग, उ.प्र. शासन।

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक